NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

दिनांक 23.9.2020

NFIR के दिनांक 22.9.2020 के वर्किंग कमेटी मीटिंग में आर.पी.सिंह. NFIR के संयुक्त महासचिव, द्वारा निम्न विचार व्यक्त किये गये।

NFIR के माननीय अध्यक्ष श्री गुमान सिंह जी, महामंत्री माननीय डा0 एम. राघवैय्या जी, NFIR के सभी केन्द्रीय पदाधिकारी और सभी वर्किंग कमेटी मेम्बर को NCRES की तरफ से मेरा नमस्कार, प्रणाम।

सर्वप्रथम मै NCRES की तरफ से INTUC के महामंत्री दिंवगत स्व. राजेन्द्र प्रसाद सिंह व SRES के स्व. बालाकृष्णन, बी. लाबन, के. बी. सुवय्या तथा URMU के अखलाक अहमद के साथ NFIR के लोकप्रिय व WRMS के मजदूर मसीहा स्व. जे. जी. माहुरकर के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। NCRES का सम्पूर्ण कैडर स्व. माहुरकर जी का प्रसंसक रहा है और उनके निधन से बहुत दुखीः है।

इस कोविड–19 महामारी के समय भारत सरकार रेलवे बोर्ड के समस्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुये NCRES कर्मचारियों के बीच ठीक ढंग से कार्य कर रहा है। आज की वर्किंग कमेटी मीटिंग में हम कहना चाहते है कि दिनांक 14.9.2020 से शुरू वर्तमान संसद सत्र में शनिवार दिनांक 19.9.2020 को श्रम मंत्री श्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में श्रम कानून सम्बन्धी तीन विधेयक पेश किया जिसमें एक औद्योगिक सम्बन्ध–2020 है। यह वही विधेयक है जो पिछले वर्ष औद्योगिक सम्बन्ध कोड–2019 के नाम से पूर्व में पेश किया गया था। इस औद्योगिक सम्बन्ध–2020 का विरोध कांग्रेस के सांसद श्री शशि थरूर और श्री मनीष तिवारी ने यह कहकर किया कि इस विधेयक का स्वरूप बदल चुका है इसलिये इसपर नये सिरे से चर्चा होना चाहिये लेकिन श्रम मंत्री ने कहा कि इस विधेयक पर पहले चर्चा हो चुकी है और इसके मसौदे को वेबसाइट पर डाला जा चुका है और चर्चा से इन्कार कर दिया।

इसी सम्बन्ध में बताना है कि BMS से सम्बद्ध यूनियन के साथ–साथ अन्य रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनें कर्मचारियों के बीच चर्चा कर सीक्रेट बैलेट चुनाव के मोडालिटी के सम्बन्ध में यह कहकर अफवाह फैला रहे है कि अब सभी यूनियनो को वोट के आधार पर प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा, ऐसी स्थिति में हम लोगो को सीक्रेट बैलेट चुनाव कराने की दिशा में सोचना चाहिये। वर्तमान में कोरोना के केसेज तो बढ़ रहे है लेकिन समाज में सभी आवश्यक कार्य अब होने लगे है। NDA की सरकार ने भी "बिहार" में विधान सभा चुनाव कराने का निर्णय लिया है, ऐसी स्थिति में NFIR को भी रेलवे बोर्ड से वार्ता कर सीक्रेट बैलेट चुनाव की तिथि तय कराना चाहिये ताकि चुनाव हो सके और मान्यता प्राप्त करने के बाद सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के सम्बन्ध में सभी लोगो से राय कर गम्भीर निर्णय लिया जा सके।

NCRES आपको भरोसा दिलाता है कि हम सीक्रेट बैलेट चुनाव में अच्छा वोट प्राप्त कर मान्यता प्राप्त करेगें।

इसी के साथ अनुरोध है कि कर्मचारियों की समस्याओं से सम्बन्धित NCRES के पत्र दिनांक 16.8.2020, 31.8.2020 व 17.9.2020 पर ध्यान दिया जाय जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न है।

(1) PWS कैडर को भी JE (P way) में मर्ज किया गया था इसलिये ASM कैडर की तरह PWS कैडर को भी 3rd MACP के तहत GP 5400 का लाभ दिलाने के लिये रेलवे बोर्ड से वार्ता किया जाय।

(2) रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 31.05.2012 के अनुसार मार्च 2009 के पूर्व रिटायर हुये रेल कर्मचारियों के लिये RELHS-97 स्कीम हमेशा के लिये खोल दिया गया तथा 31.05.2012 के बाद रिटायर हुये लोगो के लिये इस स्कीम को अनिवार्य कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी बताना है कि मार्च 2009 से 31.05.2012 के मध्य रिटायर हुये लोगो के लिये NFIR के अनुरोध पर इस स्कीम को केवल एक वर्ष के लिये खोला गया था लेकिन ऐसे लोग है जो किन्ही कारणों से एक वर्ष की समय सीमा में RELHS स्कीम ज्वाइन नही कर पाये, वर्तमान समय में वे सभी RELHS स्कीम ज्वाइन करना चाहते है।

NCRES का अनुरोध है कि मार्च 2009 से 31.5.2012 के बीच रिटायर हुये लोगो को, जो किन्ही कारणों से RELHS-97 स्कीम ज्वाइन नही कर पाये थे, ऐसे लोगो के लिये भी RELHS स्कीम हमेशा के लिये खोल दिया जाय जैसे कि मार्च 2009 के पूर्व रिटायर हुये लोगो के लिये खोला गया है ताकि उन्हे एवं उनके परिवार को कोरोना काल में मेडिकल संरक्षण प्राप्त हो सके।

(3) रेलवे बोर्ड ने RBE No. 67/2020 दिनांक 18.8.2020 जारी कर FSO के पद को संवेदनशील पद घोषित कर दिया है जबकि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के Dy. CMD ने अपने पत्र दिनांक 23.4.2015 द्वारा FSO के पद को पहले ही संवेदनशील पद घोषित कर दिया था, इस सम्बन्ध में NCRES ने अपने पत्र दिनांक 31.8.2020 द्वारा विस्तार से अवगत कराया है।

NCRES को यह भी बताना है कि रेलवे बोर्ड के अनुसार खाद्य सामग्री के 12 लाख सालाना से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों के आनलाइन भेजे गये रजिस्ट्रेशन प्रार्थना पत्र को FSO द्वारा Designated Officer (DO) के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और FSO द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी करने के कारण FSO के पद को Dy. CMD/NCR ने अपने पत्र दिनांक 23.4.2015 द्वारा संवेदनशील पद घोषित किया गया था।

यह भी अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र दिनांक 1.9.2020 (संलग्न) द्वारा आनलाइन रजिस्ट्रेशन का कार्य FSO से लेकर Designated officer (DO) को सौंप दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि FSO के पास कोई ऐसा कार्य नही है जो संवेदनशील हो या संवेदनशील की तरह हो।

इसलिये अनुरोध है कि RBE No. 67/2020 दिनांक 18.8.2020 में आवश्यक संशोधन कराने के लिये रेलवे बोर्ड स्तर पर उचित कार्यवाही की जाय।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री